मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION

D Block, Swasthya Bhawan, Tilak marg, C-scheme JAIPUR

Ph: 0141-2228066, Fax: 0141-2228065, email: rmsc@nic.in www.rmsc.nic.in

S.No.: 3020/RMSC/MD Cell   Date: 06-07-2013

समस्त
जिला कलेक्टर
राजस्थान

विषय :– मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अन्तर्गत दवा वितरण केन्द्र पर अनुपलब्ध दवाओं (Not available) की रिपोर्ट पर कार्यवाही कर भिजवाने हेतु।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत दवा वितरण केन्द्रों पर आने वाले सभी मरीजों को कम्प्यूटरीकृत दवा वितरण पत्र (Patient voucher) दिया जा रहा है। जिस पर निःशुल्क वितरित की जाने वाली दवाओं का विवरण होता है। साथ ही दवा वितरण पत्र में उन दवाओं की प्रविष्टि भी की जाती है, जो स्टॉक में अनुपलब्धता के कारण मरीजों को वितरित नहीं की जा सकी। ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि को एक NA Hit (Not available drug hit) माना गया है।

आपके जिले में अनुपलब्ध दवाईयों की सूची NA Hit list (1 to 5th July 2013) इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अनुपलब्ध दवाईयों के सम्बन्ध में निम्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है :–

1. संलग्न NA Hit list में बहुतायत मात्रा में ऐसी दवाईयां है जो जिला औषधि भंडार/ सब–स्टोर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन दवा वितरण केन्द्र पर अनुलब्ध होने के कारण मरीजों को नहीं मिल पा रही है। अतः ऐसी दवाईयों को यथाशीघ्र दवा वितरण केन्द्र पर उपलब्ध करावें।
2. जिन अनुपलब्ध दवाईयों की आरएमएससी सप्लाई में कुछ समय लगने की संभावना है, उनकी सूची जिला औषधि भंडार प्रभारी को उपलब्ध कराई गई है। अतः जिला औषधि भंडार प्रभारी से परामर्श कर आवश्यकतानुसार आवंटित बजट से स्थानीय स्तर पर क्रय (Local purchase) किया जावे।
    - दर संविदा करके रख ली जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रक्रियागत विलम्ब ना हो।
    - स्थानीय क्रय एक बार में 1–2 माह की आवश्यक मात्रा का ही किया जावे।
    - क्रयादेश जारी करते समय आपूर्ति समय को कम से कम (7–10 दिवस) ही रखा जावे।
    - बेहद आवश्यकता होने पर Drug & Theraputic Committee की अनुशंषा पर EDL से बाहर की दवाईयां भी इस मद से क्रय की जा सकती है।
3. यदि सम्भव हो तो अनुपलब्ध दवाईयों के स्थान पर अन्य स्ट्रेन्थ की वही दवा या उसी ग्रुप की अन्य दवा (Alternative prescription) मरीजों को लिखी जा सकती है।

प्रयास यह रहना चाहिये कि आपके जिलें में चिकित्सक द्वारा लिखी गई कोई भी दवा अनुपलब्ध न रहे और NA Hit शून्य हो जाए, जिससे दवा वितरण केन्द्र पर आने वाले सभी मरीजों को आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हो सके।

मुख्यालय द्वारा आपके जिले की चिकित्सालय वार अनुपलब्ध दवाईयों (NA Hit list from 1 to 5th July 2013) की सूची भेजी जा रही है, जिस पर प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना इसी फार्मेट में दिनांक 12 जुलाई 2013 तक rmsc@nic.in पर भेजा जाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

6/7/2013

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि :–
(i) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त।
(ii) प्रमुख चिकित्साधिकारी, समस्त।